न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 58/2022

1. राजपाल पुत्र श्योलाल जाति कुम्हार साकिन 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. श्रवण कुमार पुत्र श्योलाल जाति कुम्हार साकिन 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – वादीगण

बनाम

1. श्योलाल पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार साकिन 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. शारदा पुत्री श्योलाल जाति कुम्हार साकिन 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. मन्जू पुत्री श्योलाल जाति कुम्हार साकिन 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. रोशनी पुत्री श्योलाल जाति कुम्हार साकिन 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 घोषणा एंव खाता विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ———**वादीगण**
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता —— **प्रतिवादी सं. 1 ता 4**
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा —— **प्रतिवादी सं. 5**

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक :– 23/02/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें तथ्य इस प्रकार है, कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है ।

वादीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है ।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 जेड.डब्लयू.डी. के खाता सं. 43 के प.नं. 97/366 के किला नं. 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 कुल 1.986 हैक. कमाण्ड अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है ।

23/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की श्रम व मेहनत से अर्जित कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वादीगण के दादा श्री मोमनराम ने राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाई और सम्पूर्ण कृषि भूमि संयुक्त परिवार द्वारा संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहें है इस प्रकार से वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है । अर्सा समय पूर्व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य घरा घरू बंटवारा हुआ और घरा घरू बंटवारा के समय प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष मे मौखिक रूप से त्याग कर दिया तत्पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त अनुसार वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुईः–

क. वादी सं. 1 राजपाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
9 जेड.डब्लयू.डी.	97/366	17, 18, 23/2, 24/2 25/2	1.025 हैक.

ख. वादी सं. 2 श्रवण कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
9 जेड.डब्लयू.डी.		97/366	19, 20, 21/2, 22/2	0.961 है

वादीगण का कब्जा वाद पत्र की दफा 4''क–ख'' मे वर्णितानुसार कृषि भूमि पर घरू बंटवारा के समय से चला आ रहा है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 4''क–ख'' मे वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा एवं खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि वादीगण वाद पत्र की दफा 5 ''क–ख'' मे वर्णित कृषि भूमिके खातेदार काश्तकार है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे

वाद दर्ज रजिस्टर किया [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण [illegible] हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा [illegible] किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा [illegible] वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक कि[illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

23/02/2022
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि का वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

क. वादी सं. 1 राजपाल को प्राप्त कृषि भूमि:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
9 जेड.डब्लयू.डी.	97/366	17, 18, 23/2, 24/2, 25/2	1.025 हैक.

ख. वादी सं. 2 श्रवण कुमार को प्राप्त कृषि भूमि:–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
9 जेड.डब्लयू.डी.		97/366	19, 20, 21/2, 22/	0.961 है

प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

23/01/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

23/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:39:00 IST
Reason: SelfAttested